न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान बनाम कैलाशी व अन्य किस्म मुकदमा : रेफरेन्स मु0नं0 03/2022	
23.09.2024	राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की तलवी हेतु जारी अप्रार्थी भूली पत्नि सोन्या, नानगी पत्नि महादेव, हरलाल पुत्र भौरया के रजिस्टर्ड नोटिस लौटकर प्राप्त पर अंकितानुसार उक्त अप्रार्थीगण फौत हो चुके है। अप्रार्थी भूली पत्नि सोन्या, नानगी पत्नि महादेव, हरलाल पुत्र भौरया के कायम मुकाम की सूचना पेश नहीं जाने के कारण प्रकरण अनावश्यक रूप से न्यायालय में विचाराधीन है। तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा जो रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है उसमें जिन व्यक्तियों के विरूद्ध रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह स्वच्छ टंकित नहीं होकर कांट छांट की गई है एवं अप्रार्थीगण के नाम क्रमानुसार अंकित नहीं किया गया है ना ही अप्रार्थीगण का पता भी स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में मृतक अप्रार्थीगण की कायम मुकाम की सूचना के अभाव में चलाये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रकरण तहसीलदार नांगल राजावतान को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृतक अप्रार्थीगण भूली पत्नि सोन्या, नानगी पत्नि महादेव, हरलाल पुत्र भौरया के वारिसान की जांच कर अप्रार्थीगण के क्रमानुसार नाम अंकित करते हुये तलवी हेतु पूर्ण पता सहित स्वच्छ टंकित संशोधित टाइटल एवं रेफरेन्स पेश किये जाने हेतु अपेक्षित दस्तावेजात सहित रेफरेन्स नये सिरे से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 23.09.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (सुमित्रा पारीक) अति. जिला कलक्टर ,दौसा Signature Not Verified Digitally signed by Sumitra Pareek Date: 2025.01.22 18:24:42 IST Reason: SelfAttested	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official